संख्या-1485/2026/1225/22-2-2026-17(646)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ननका उर्फ गीता पत्नी श्री राजेन्द्र, निवासिनी जनपद-बलरामपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ननका उर्फ गीता पत्नी श्री राजेन्द्र, भवरिया **H/O** बकौली डालपुर, थाना-को0 गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 26.06.2019 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फॉसी लगाकर अपनी पुत्रवधू कृष्णा देवी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-56/2019 में धारा-304बी/34, 498ए आई०पी०सी० व 4 डी०पी०एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के दण्डादेश दिनांक 20.09.2024 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 21 दिन तथा 01 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 31.08.2025 तक लगभग 37 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी ननका उर्फ गीता पत्नी श्री राजेन्द्र की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की 37 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ननका उर्फ गीता (बन्दी संख्या-804/2024) पत्नी श्री राजेन्द्र, निवासिनी जनपद-बलरामपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1485/2026/1225(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बलरामपुर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।